



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-29.10.2024

विषय:- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने के मामले में वांछित अभियुक्त विद्याशंकर मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा थाना रोहनिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0298/2024 धारा 69/123/316(2)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 67 आई0टी0 एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त विद्याशंकर मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्र निवासी N-11/99 F-2 रानीपुर महमूरगंज छित्तूपुर थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-29.10.2024 को समय करीब 11.45 बजे अखरी पिकेट के पास थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । उक्त के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक-12.10.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने प्रतिवादी विद्याशंकर मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा द्वारा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने, चाय में नशीली गोलियां पिलाकर दुष्कर्म करने व उसकी अश्लील फोटो व विडियो बनाने, प्रतिवादी विद्याशंकर व उसके भाइयों द्वारा वादिनी/पीड़िता को मारने-पीटने, गाली-गुप्ता देने, जान से मारने की धमकी देने, फोटो व विडियो डिलीट करने के नाम पर पैसा व सिकड़ी ले लेने तथा बाद में अश्लील फोटो व विडियो वायरल कर देने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-0298/2024 धारा 69/123/316(2)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 विवेक कुमार शुक्ला द्वारा संपादित की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विद्याशंकर मिश्रा उर्फ पिंटू मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्र निवासी N-11/99 F-2 रानीपुर महमूरगंज छित्तूपुर थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी, उम्र 35 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- अखरी पिकेट के पास थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से, दिनांक-29.10.2024 को समय करीब 11.45 बजे ।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद मोबाइल एम0आई0 गोल्डन सिल्वर कलर बरामद ।

## आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 0298/2024 धारा 69/123/316(2)/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 67 आई0टी0 एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी ।

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-प्र0नि0 विवेक कुमार शुक्ला थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2-हे0का0 अमरनाथ यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3-का0 अवनीश कुमार यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।